



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

झारखंड

जुलाई

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड	3
➤ संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगाँठ	3
➤ झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की वापसी	3
➤ झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश	4
➤ कैमरून में झारखंड के मजदूर फँसे	4
➤ झारखंड के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	5
➤ झारखंड ने बाढ़ प्रभावित असम को सहायता की प्रदान की	6
➤ मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	7
➤ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता	7

झारखंड

संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगाँठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने संथाल जनजाति समुदाय के बलिदान और वीरता को नमन किया।

मुख्य बिंदु:

- ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक संथाल विद्रोह वर्ष 1855 और 1857 में हुआ था
- यह भारत का पहला बड़ा किसान विद्रोह था, जो वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन से प्रेरित था
- इसका नेतृत्व चार भाइयों सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू ने बहनों फूलो एवं झानो के साथ मिलकर किया था तथा यह बिहार के क्षेत्रों में फैला था।

संथाल जनजाति

- संथाल भारत में गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है।
- उनकी सबसे बड़ी संख्या देश के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है।
- भाषा:
 - ◆ उनकी भाषा संथाली है, जो मुंडा (ऑस्ट्रोएशियाटिक) भाषा खेरवारी की एक बोली है।
 - ◆ ओल चिकी लिपि (OI Chiki Script) में लिखी जाने वाली संथाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- धर्म:
 - ◆ वे प्रकृति पूजक हैं और उन्हें अपने गाँवों में जाहेर (पवित्र उपवन) में श्रद्धा अर्पित करते देखा जा सकता है।
- व्यवसाय:
 - ◆ अधिकांश संथाल कृषक हैं, जो अपने खेतों या वनों पर निर्भर हैं।
 - ◆ मौसमी वन संग्रह उनकी सहायक आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।

झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की वापसी

चर्चा में क्यों ?

हेमंत सोरेन को ज़मानत मिलने के बाद, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पद से इस्तीफा देने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

- झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक में नई सरकार गठित करने के लिये औपचारिकताएँ शुरू करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
- प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement- ED) द्वारा कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन (Money Laundering- ML) के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली

प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement- ED)

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-विषयक संगठन है जिसका कार्य **धन शोधन** और **विदेशी मुद्रा कानूनों** के उल्लंघन के अपराधों की जाँच करना है।
- यह **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग** के अधीन कार्य करता है
- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय **भारत के संविधान और कानूनों** के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।

धन शोधन (Money Laundering- ML)

- मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना या गुप्त रखना शामिल है, जिससे ऐसा लगे कि यह वैध स्रोतों से आया है। यह प्रायः अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि ड्रग तस्करी, डकैती अथवा अवैध वसूली का एक घटक होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** के अनुसार, वैश्विक धन शोधन का अनुमान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (**Gross Domestic Product- GDP**) के 2 से 5% के बीच है।

झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने **झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ ली।

मुख्य बिंदु:

- **राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन** ने राँची स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई
- शपथ ग्रहण समारोह में **मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन** और विधानसभा अध्यक्ष **रवींद्रनाथ महतो** के अलावा कई न्यायाधीश तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **संविधान के अनुच्छेद 217** में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और **राज्य के राज्यपाल** के परामर्श से की जाएगी
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।

कैमरून में झारखंड के मज़दूर फँसे

चर्चा में क्यों ?

कैमरून में फँसे झारखंड के 27 श्रमिकों ने मध्य अफ्रीकी देश से उन्हें निकालने में तत्काल सहायता के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, श्रमिकों को एक निजी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को कैमरून लाया गया था।
- ◆ हालाँकि **कर्मचारियों को कंपनी से पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है।** उन्होंने बताया कि उन्हें **भोजन और जल की अत्यधिक कमी का सामना** करना पड़ रहा है तथा वे **बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं जुटा पा रहे हैं।**
- **विदेश मंत्रालय से अनुरोध** है कि वह 27 फँसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सहायता करें।

कैमरून



- यह पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के संगम पर स्थित है
- यह अफ्रीका का 24वाँ सबसे बड़ा और विश्व का 54वाँ सबसे बड़ा देश है।
 - ◆ इसकी राजधानी याउंडे है, जो देश के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित है।
- सीमावर्ती देश:
 - ◆ इसकी सीमा उत्तर-पूर्व में नाइजीरिया और चाड, पूर्व में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण-पूर्व में कांगो गणराज्य, दक्षिण में गैबॉन तथा इक्वेटोरियल गिनी एवं दक्षिण-पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है।
- राहत:
 - ◆ कैमरून की भौगोलिक विविधता में उत्तरी सवाना, मध्य उच्चभूमि, दक्षिणी तटीय मैदान और माउंट कैमरून सहित पश्चिमी ज्वालामुखी पर्वत शामिल हैं।

झारखंड के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- विधि मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति प्रसाद 20 जुलाई, 2024 को कार्यभार संभालेंगे
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:
 - ◆ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
 - ◆ इसके अनुसार, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पद के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
 - ◆ मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
 - ◆ हालाँकि यह प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है।
 - ◆ सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं।
 - ◆ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार की जाती है।
 - पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।

झारखंड ने बाढ़ प्रभावित असम को सहायता की प्रदान की

चर्चा में क्यों ?

असम के मुख्यमंत्री के अनुसार, झारखंड ने इस पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए दिये।

मुख्य बिंदु

- असम में बाढ़, भूस्खलन, तड़ित और तूफान के कारण कम-से-कम 113 लोग मारे गए हैं।

बाढ़

- परिचय:
 - ◆ बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक बार आने वाला प्रकार है और यह तब होता है जब जल का अतिप्रवाह ऐसी भूमि को जलमग्न कर देता है जो आमतौर पर सूखी रहती है।
 - ◆ वर्ष 1998-2017 के बीच बाढ़ के कारण विश्व भर में 2 अरब लोग प्रभावित हुए हैं।
- कारण
 - ◆ ये अक्सर भारी वर्षा, तेज़ी से बर्फ पिघलने या तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी से उत्पन्न तूफानी लहरों के कारण होते हैं।

● बाढ़ के प्रकार:

- ◆ **आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods)**: ये तेज़ और अत्यधिक वर्षा के कारण होती हैं, जिससे जल का स्तर तेज़ी से बढ़ता है तथा नदियाँ, नाले, चैनल या सड़कें जलमग्न हो सकती हैं।
- ◆ **नदी द्वारा बाढ़ (River Floods)**: ये तब होती हैं जब लगातार वर्षा या बर्फ पिघलने से नदी अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी भर जाती है।
- ◆ **तटीय बाढ़ (Coastal Floods)**: ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी से जुड़े तूफानी लहरों के कारण होती हैं।

मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना में नामांकित करने के लिये ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करेगी, जिसके तहत उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु:

- यह घोषणा साहिबगंज ज़िले के राजमहल में 88 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए की गई।
- 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम शीघ्र ही पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की धनराशि देगी।
 - ◆ इस योजना के दायरे में करीब 40 लाख महिलाएँ आएंगी और उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
 - ◆ इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना रखा गया है।

दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- दोनों विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल का दोषी पाया गया है।
- दलबदल विरोधी कानून:
 - ◆ दलबदल विरोधी कानून संसद सदस्यों (Members of Parliament - - MP)/विधानसभा सदस्यों (Members of the Legislative Assembly- MLA) को एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने पर दंडित करता है।
 - ◆ संसद ने विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिये इसे वर्ष 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा था।
 - दसवीं अनुसूची - जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है - को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
 - ◆ यह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है।
 - यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने वाले विधायकों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।

